गोपनीय

उत्तरांचल शासन
सतर्कता अनुभाग
संख्या।73/सतर्कता-2002-38(11)/2002
देहरादूनः दिनांकः 26 अप्रैल, 2003

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः-सतर्कता जॉच से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण की प्रकिया।

भ्रष्टाचार की शिकायतों की जॉच अथवा अनुसंधान करने के लिए प्रदेश में सतर्कता अधिष्ठान स्थापित है। इस अधिष्ठान को जॉच के लिए मामले शासन के सतर्कता विभाग द्वारा अभिदिष्ट किए जाते है। सामान्यतः राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्व जॉच/अन्वेषण राज्य सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जाती है । यदि राजपत्रित अधिकारी के साथ-साथ अराजपत्रित कर्मचारी का आचरण भी अन्तर्ग्रस्त पाया जाता है तो सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जॉच की जाती है। शासन द्वारा सतर्कता अधिष्ठान को जॉच/अन्वेषण के लिए मामले अभिर्दिष्ट किये जाने एवं सतर्कता अधिष्ठान से जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात सतर्कता अधिष्ठान की संस्तुति पर कार्यवाही किये जाने हेतु निम्न प्रकिया निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

सतर्कता अधिष्ठान को जॉच/अन्वेषण अभिर्दिष्ट किये जाने की प्रकिया

1- सतर्कता जॉच से सम्बन्धित मामलों का प्रशासकीय विभाग द्वारा गहराई से परीक्षण किया जाय और ऐसे ही मामले सतर्कता जॉच हेतु भेजे जायें जिसमें विशिष्ट एजेंसी से जॉच का औचित्य हो अथवा विभागीय जॉच सम्भव न हो एवं मामला महत्वपूर्ण हो।

2- भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों की जॉच सतर्कता विभाग से कराये जाने का अनुरोध प्रशासकीय विभागों द्वारा सामान्यतया राजपत्रित अधिकारियों एवं समकक्ष लोक सेवकों के सम्बन्ध में ही किया जाना चाहिए।

3- सतर्कता अधिष्ठान को सौपे जाने वाले मामलों का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त सतर्कता जॉच का औचित्य प्रतीत होने पर प्रशासकीय विभाग अपने प्रस्ताव सहित सम्बन्धित पत्रावली एक स्वतः स्पष्ट टिप्पणी के साथ भेजें जिसमें आरोपों का स्पष्ट उल्लेख हो अथवा वे बिन्दु भी स्पष्टतया अंकित हों जिनके आधार पर सतर्कता जॉच का औचित्य पाया जा रहा है।

4- प्रशासकीय विभाग द्वारा सतर्कता जॉच के लिए मामले अभिर्दिष्ट करते समय प्रभारी माननीय मंत्री जी का अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होगी चूँकि सतर्कता विभाग द्वारा वैकल्पिक कार्यवाही सुझाये जाने की भी सम्भावना हो सकती है।

5- सतर्कता जॉच के लिए अभिर्दिष्ट किये जाने वाले मामले का परीक्षण सतर्कता विभाग में किया जायगा और सतर्कता विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग के प्रभारी मंत्री जी के माध्यम से उच्चादेश प्राप्त करके अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

6- यदि किसी मामले में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा सतर्कता जॉच के सीधे ही आदेश प्रदान किये जाते है तब ऐसे मामले में प्रशासकीय विभाग द्वारा मा0मुख्य मंत्री जी के आदेश मूल रूप में सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराये जायेगें और सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता जॉच के आदेश जारी करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

सतर्कता अधिष्ठान की जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त की प्रकिया।

1- सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गई जॉच के उपरान्त दोषी पाए गए लोक सेवकों के विरूद्व सतर्कता विभाग की संस्तुति प्रशासकीय विभाग को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु भेजी जाएगी।

2- सतर्कता विभाग द्वारा अभियोजन चलाये जाने के प्रकरणों में न्याय विभाग की राय प्राप्त करने के उपरान्त संस्तुति प्रशासकीय विभाग को भेजी जायेगी।

3- सतर्कता विभाग द्वारा की गयी संस्तुति से यदि प्रशासकीय विभाग सहमत न हों और भिन्न मत रखते हों तो अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व सतर्कता विभाग का मत भी प्राप्त करेगें। प्रशासकीय विभाग विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन सतर्कता विभाग का मत प्राप्त करने के पूर्व प्राप्त नही करेगें।

4- सतर्कता विभाग द्वारा की गई संस्तुति पर दण्डित लोक सेवक यदि अपील करता है और प्रशासकीय विभाग उस अपील को स्वीकार करना चाहते है तो उस पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सतर्कता विभाग का मत भी प्राप्त करेगें।

6- कृपया उपर्युक्त प्रकिया का कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

26/4/2007

(मधुकर गुप्ता)
मुख्य सचिव

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव(नाम से)